क्रम संख्या 267

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 1978

वैशाख 7, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1177/सत्रह-वि0-1—15-19-78

लखनऊ, 27 अप्रैल, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 1978 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1978)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसे 30 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1965 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (12) में, शब्द 'तीन वर्ष' के स्थान पर शब्द 'दो वर्ष' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"(7) परिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति परिषद् के तत्समय सदस्यों की कुल संख्या के पंचमांश से होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब बैठक में गणपूर्ति के न होने पर किसी कार्यवाही को स्थगित करना आवश्यक हो जाय, तब अध्यक्ष किसी अन्य दिनांक के लिए बैठक को स्थगित करेगा, और गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित की गई कार्यवाही का सम्पादन ऐसे दिनांक को, या बैठक के किसी अनुवर्ती दिनांक के लिए अग्रतर स्थगित किए जाने की दशा में, उस अनुवर्ती दिनांक को किया जायगा, भले ही उपस्थित सदस्यों की संख्या में कोई कमी हो।"

धारा 6 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 6 में,--

(एक) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"(4) परिषद् को अदत्त संचय का भुगतान किए जाने के दिनांक से छः मास की अवधि में कम से कम तीन मास में एक बार, उपधारा (3) के अधीन नोटिस--

(क) उस अधिष्ठान के, जिसमें अदत्त संचय उपार्जित हुए हों, सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित की जायगी;

(ख) कर्मचारी को उसके स्थाई पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायगी; और

(ग) सम्बद्ध अधिष्ठान के ट्रेड यूनियन को, यदि कोई हो, दी जायगी, यदि कर्मचारी उसका सदस्य रहा;"

(दो) उपधारा (6) में, शब्द "नोटिस के गजट में प्रथम प्रकाशन से चार वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द "प्रथम नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर" रख दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:--

"(ण) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन नोटिस को तामील करने और उसके प्रकाशन पर, ऐसे अधिकतम प्रतिशत तक, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे।"

नई धारा 7-क का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम के अध्याय 3 में, धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

अदत्त संचय से अग्रिम

"7-क--परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन नोटिस के प्रकाशन पर कर्मचारियों का दावा आमंत्रित करने में होने वाले व्यय को चुकाने के प्रयोजनार्थ अदत्त संचय से, उसके पांच प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का आहरण कर सकती है।"

निरसन और अपवाद

7--(1) उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा
सचिव।

No. 1177/XVII-V-1—15-1978

Dated Lucknow, April 27, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to, by the President, on April 26, 19778 ;

THE UTTAR PRADESH LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act no. 17 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965.

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund (Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 30, 1977.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. XIV of 1965.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (12), *for* the words "three years", the words "two years" shall be *substituted.*

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act, *after* sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted,* namely:—

"(7) The quorum to constitute a meeting of the Board shall be one-fifth of the total number of members of the Board for the time being:

Provided that, when it becomes necessary to postpone any business at the meeting for want of quorum, the Chairman shall adjourn the meeting to another date, and the business postponed for want of the quorum shall be transacted on such date, or, in the event of a further adjournment of the meeting to a subsequent date, on such subsequent date, notwithstanding any deficiency in the number of members present."

Amendment of section 6.

4. In section 6 of the principal Act,—

(i) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(4) At least once in three months, the notice under sub-section (3) shall, during a period of six months from the date of the payment of the unpaid accumulations to the Board, be—

(*a*) exhibited on the notice board of the establishment in which the unpaid accumulations were earned ;

(*b*) sent to the employee, by registered post, at his permanent address ; and

(*c*) given to the trade union, if any, of the concerned establishment, if the employee was member thereof;"

(ii) in sub-section (6), *for* the words, "within four years from the date of the first publication in the *Gazette* of the notice" the words "within one year from the date of the first notice" shall be *substituted.*

Amendment of section 7.

5. In section 7 of the principal Act. in sub-section (2), *after* clause (*n*), the following clause shall be *inserted,* namely:—

"(*o*) Subject to a maximum of such percentage as the State Government may by notification specify, on the service and publication of notice under sub-section (4) of section 6."

Insertion of new section 7-A.

6. In Chapter III of the principal Act, *after* section 7, the following section shall be *inserted*, namely :—

"7-A. The Board may with the previous approval of the State Government withdraw, out of the unpaid accumulations, an amount not exceeding five per cent thereof for the purposes of defraying the expenditure in inviting claims of the employees on publication of notice under sub-section (4) of section 6."

Advance from unpaid accumulations.

Repeal and savings.

7. (1) The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund (Amendment) Ordinance, 1977, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act, were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 41 सां० विधा०—27-4-78—(372)—1978—650 (मेक०)